

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 158/12

संस्थापन दिनांक:-27/03/12

फाईलिंग नं. 233504000192012

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

ज्ञानराव पिता निम्बाजी

उम्र 45 वर्ष, निवासी जम्बाड़ा,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 10.04.2017 को घोषित)

1 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 17.03.2012 को दोपहर 02:15 बजे मोटर सायकिल स्टार सीटी काली कलर के मालिक होते हुए उक्त वाहन को जाहिद को चलाने यह जानते हुए दिया कि उसके पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया।

2 प्रकरण में अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र पेश कर अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों एवं दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है एवं धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य न होने पर अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण नहीं किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 17.03.2012 को 02:15 बजे ग्राम जम्बाड़ा से अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसके बड़े भाई सुनिल का फोन आया कि उसके भतीजे पुष्पेन्द्र को स्कूल के सामने टीवीएस स्टार सीटी के चालक द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकिल को चलाकर ठोस मार दिया है जिससे उसे दाहिने पैर की पिंढली में चोट आयी है। जिसके पश्चात वह घटना स्थल पर पहुंचा और अपने भतीजे को उठाकर अस्पताल लेकर लाया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायकिल टीवीएस स्टार सिटी के चालक के विरुद्ध अपराध क. 114/12 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त जाहिद से एक बिना नम्बर की टीवीएस स्टार सिटी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त जाहिद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त जाहिद पिता नौशे खान के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2017 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की जाकर उसे फरार घोषित किया गया है तथा अभियुक्त ज्ञानराव द्वारा अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार कर लिये जाने के कारण उसके संबंध में साक्षीगण को परिक्षीत नहीं कराया गया है। यह निर्णय केवल अभियुक्त ज्ञानराव के संबंध में पारित किया जा रहा है।

5 अभियुक्त ज्ञानराव द्वारा दिनांक 24.07.2012 को निर्णय की कंडिका 01 में वर्णित आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा गया था परंतु दिनांक 06.04.2017 को धारा 294 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार किया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटर सायकिल स्टार सीटी काली कलर को बिना वैध अनुज्ञप्ति धाकर जाहिद को चलाने को दिया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

विचारणीय प्रश्न का निराकरण

7 अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्त्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 300/- रुपये एवं धारा 146/196 के तहत 700/- रुपये कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जाये।

8 प्रकरण में जप्तशुदा बिना नम्बर की टीवीएस स्टार सिटी मोटरसायकिल के संबंध में आदेश अभियुक्त जाहिद के संबंध में निर्णय पारित करते समय किया जावेगा।

9 अभियुक्त ज्ञानराव के मुचलके उसके स्वयं के निवेदन पर दं.प्र.सं. की धारा 437(ए) की शर्तों के अंतर्गत आगामी छह: माह तक प्रभावशील रहेंगे एवं तत्पश्चात स्वमेव उन्मोचित हो जावेंगे।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

11 प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त जाहिद पूर्व से फरार है। अतः प्रकरण अभिलेखागार में सुरक्षित रखने की टीप के साथ जमा किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)